POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD.
NORTHERN REGION-I
B-9, QUTAB INSTITUTIONAL AREA
KATWARIA SARAI, NEW DELHI
PH 26562934, FAX 26564756

REF No.: Power Grid/NR-I/RTI/516 9345 **Dtd.**16/01/2014

To

Shri Krishan Pal Tomar
S/o Shri Gaya Prasad Singh,
Near Village & Post Digner, Distt. Agra (U.P.)

Subject: <u>Your RTI Application dated 28/10/2013 and appeal dt.20.12.2013 under RTI Act 2005.</u>

Dear Sir,

This has reference to your RTI Application dated 28/10/2013 and subsequent appeal letter dt.20.12.2013 vide which you have sought information under Right to Information Act-2005. In this reference the information as sought by you vide the above RTI Application and appeal dt.20.12.2013 is enclosed at Annexure-I.

Regarding reply on the RTI application dt.30.10.2013, it has already been intimated you that the said RTI application dt.30.10.2013 has not ever been received in the office of the undersigned. In this letter No.Power Grid/NR-I/RTI/516, the date was by typographically mistake mentioned as 09.01.2013, it may be read as 09.01.2014.

Please acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

[Yours faithfully,

Sarmah

[T.C.Sarmah]
General Manager (PESM)
Designated CPIO, NR-1
POWERGRID, New Delhi

17.1.14

Copy to:
CPIO, CC, Gurgaon: *for favour of information w.r.t. your letter No.13/163 dt.02/01/2014.*

Not in original
Dy. General Manager (Vig.), NR-I: for favour of information, please

Annexure-I

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री कृष्ण पाल सिंह तोमर द्वारा दिनांक 20.12.13 के पत्र के माध्यम से मांगी गयी जानकारी के संदर्भ में बिन्दुवार उत्तर।

श्री कृष्ण पाल सिंह तोमर द्वारा जिस पत्र दिनांक 30.10.13 का संदर्भ अपने प्रार्थना पत्र में दिया गया है, ऐसा कोई पत्र हमारे यहाँ प्राप्त होना नहीं पाया गया है।
श्री कृष्ण पाल सिंह तोमर द्वारा बार - बार एक ही प्रकार के प्रश्न घुमा - घुमा कर पूंछे जा रहे हैं। जबकि सही तथ्य उनकी जानकारी में है, तथापि बिन्दुवार उत्तर पुनः दिया जा रहा है:

1. आपके द्वारा पूछे गये प्रशन संख्या 1 के संदर्भ मे अवगत कराना है कि ग्राम नौफरी, आगरा की अन्य भूमियो सहित गाटा संख्या 147 की समस्त भूमि 0.541 एकड़ का विधिवत अधिग्रहण कर कब्जा लिया गया था तथा उक्त संपाति सरकार मे निहित होकर तत्कालीन एनटीपीसी, वर्तमान मे पावरग्रिड, मे निहित हो गयी वे ही उसके स्वामी व काबिज है । श्री गया प्रसाद (आपके पिता) द्वारा पावरग्रिड के कब्जे मे हस्तक्षेप करने के कारण पावरग्रिड द्वारा एक वाद संख्या 782/93 पावरग्रिड बनाम गया प्रसाद प्रस्तुत किया था जिसके खारिज होने के विरुद्ध पावरग्रिड द्वारा एक सिविल अपील संख्या 143/96 माननीय जिला जज, आगरा न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी थी । वह स्थानांतरित होकर माननीय VII अति. सि. जज (सी. डि.), आगरा मे प्राप्त हुई । जहां आपके पिता को गुण व दोष के आधार पर सुनकर अपील में पारित निर्णय दि. 31.08.99 द्वारा अपील स्वीकार हुई तथा विधिक रूप से माननीय न्यायालय द्वारा नौफरी, आगरा की गाटा संख्या 147 के कुल क्षेत्रफल 0.541 एकड़ पर पावर ग्रिड कार्पोरेशन को स्वामी व काबिज घोषित किया जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अपीलीय निर्णय से पूर्ण संतुष्ट होने के कारण आपके पिता द्वारा कोई द्वितीय अपील भी प्रस्तुत नहीं की, न अपीलीय निर्णय दि. 31.08.99 को किसी भी माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती ही दी है अतः वह अंतिम हो गया है, व आप पर और आपके पिता पर बाध्यकारी है।
2. प्रश्न सं. 2 के संबंध में अवगत कराना है कि जब विवाद यह उत्पन्न हुआ कि गाटा संख्या 147 की समस्त भूमि पर कब्जा लिया गया या नहीं, यह तथ्य, जैसा पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा जा चुका है, माननीय न्यायालय द्वारा अपने अंतिम रूप से अपीलीय निर्णय दि. 31.08.99 मे निर्णित व निर्धारित किया जा चुका है कि एन टी पी सी (वर्तमान में पावरग्रिड) ने गाटा संख्या 147 के सम्पूर्ण भाग पर कब्जा प्राप्त किया था वही उसके वास्तविक स्वामी व काबिज है। उक्त निर्णय कि प्रति आपको पूर्व में ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।

एक बार पुनः आपको सूचना प्रेषित की जा रही है।

15.01.14
(पंकज शर्मा)
मु. प्र. (उप.) आगरा

(टाफ्लर प्रेडिम?)
सहा० का० अधिकारी